परिणामी बजट वर्ष 2007-08

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
विभाग- सहकारिता विभाग					
विभागाध्यक्ष- आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़					
1	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूंजी के आधार को सुदृढ़ करना ।	240000	जिला सहकारी बैंक, अंबिकापुर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी जिससे बैंक को रियायती दर पर ऋण प्राप्त करने की पात्रता आ जावेगी ।	
2	प्राथमिक कृषि साख/कृषक सेवा में बड़े पैमाने पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन	राज्य शासन द्वारा पैक्स/लैम्प्स की अंशपूंजी में वृद्धि करना	20000	प्रति समिति रू. 75000/- के मान से 263 कृषि साख समितियों के वर्तमान अंशपूंजी में वृद्धि होगी जिससे उनकी ऋण ग्रहण क्षमता में वृद्धि होगी।	
3	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की अंशपूंजी धनवेष्ठन	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की दीर्घावधि ऋण की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उनकी अंशपूंजी में वृद्धि करना ।	30000	12 जिला विकास बैंकों की वर्तमान अंशपूंजी में 25.00 लाख की वृद्धि होगी, जिससे उनकी ऋण ग्रहण क्षमता में वृद्धि होगी ।	
4	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	परियोजना जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सहकारिता के माध्यम से करना			
		1. एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, रायगढ़	14398	100 एम.टी. के 6 गोदाम, 11 गोदाम मरम्मत, फर्नीचर 19 समिति, मार्जिन मनी 14 समिति, 01 विपणन समिति का गोदाम मरम्मत, पी.आई.ए., अपैक्स बैंक को 25.00 लाख मार्जिन मनी प्रदान करना ।	
		2. एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, जशपुर	14398	100 एम.टी. के 6 गोदाम, 11 गोदाम मरम्मत, फर्नीचर 19 समिति, मार्जिन मनी 14 समिति, 01 विपणन समिति का गोदाम मरम्मत, पी.आई.ए., अपैक्स बैंक को 25.00 लाख मार्जिन मनी प्रदान करना ।	

परिणामी बजट वर्ष 2007-08

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
विभाग- सहकारिता विभाग					
विभागाध्यक्ष- आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़					
		3. एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, अंबिकापुर	9797	15 समितियों में 100 मे.टन गोदाम निर्माण, 22 समितियों में बाउन्ड्रीवाल, 07 समितियों में बैंक के लिए काउन्टर, विपणन समिति के लिए 100 मे.टन के 2 गोदाम निर्माण तथा गोदाम मरम्मत, 03 भूमि विकास बैंक भवन निर्माण, 01 जिला सहकारी संघ के लिए भवन, 01 बैंक भवन तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बैंक मुख्यालय एवं 03 शाखा कार्यालय का कम्प्यूटराईजेशन किया जावेगा ।	
		4. एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, राजनांदगांव	9797	100 मे.टन के 15 गोदाम, 50 मे.टन के 23 गोदाम, 38 समितियों में गोदाम मरम्मत, 04 समितियों में बाउन्ड्रीवाल के लिए सहायता उपलब्ध कराई जावेगी ।	
5	राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों का क्रय	कृषि उत्पादन के क्षेत्र में दीर्घावधि साख की आवश्यकता की पूर्ति हेतु ऋण पत्रों का क्रय ।	11000	राज्य विकास बैंक से संबंध 12 जिला विकास बैंक के अनुमानित 50,000 सदस्यों को ऋण प्रदाय कर लाभांवित किया जावेगा ।	
6	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अंशपूंजी में धनवेष्ठन	कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अधिक से अधिक सदस्यों को ऋण प्रदाय करने के लिए राज्य शासन द्वारा बैंक की अंशपूंजी में वृद्धि हेतु आर्थिक सहायता प्रदाय करती है जिससे बैंक की अंशपूंजी में वृद्धि होती है ।	20000	राज्य विकास बैंक की वर्तमान अंशपूंजी में राशि रू. 200.00 लाख की वृद्धि होने से 12 जिला विकास बैंकों को कम दर पर ऋण उपलब्ध होगा । जिससे जिला विकास बैंक के समस्त सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा ।	
7	सहकारी शक्कर कारखाना	शक्कर कारखाना की स्थापना हेतु ऋण एवं कार्यशील पूंजी	150000	सहकारी शक्कर कारखाना, बालोद, जिला दुर्ग का निर्माण कार्य तथा सहकारी शक्कर कारखाना, भोरमदेव को कार्यशील पूंजी हेतु राशि उपलब्ध करवायी जावेगी।	

परिणामी बजट वर्ष 2007-08

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
विभाग- सहकारिता विभाग					
विभागाध्यक्ष- आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़					
8	कृषि साख स्थिरीकरण निधि को सुदृढ़ करने के लिये राज्य सहकारी बैंक को ऋण	आपदा के समय ऋण भुगतान में राहत प्रदान करने के लिए कृषकों के अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन के कारण बैंकों को 15 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में दी जाती है ।	50000	आपदा की स्थिति में ऋण परिवर्तन होने पर लगभग 2.50 लाख सदस्य लाभान्वित होंगे ।	
9	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिये ऋण	कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पूंजी में वृद्धि के लिए राज्य सहकारी बैंक को ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।	20000	12 जिला विकास बैंकों के 396 सदस्यों को दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराया जावेगा ।	
10	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त करण हेतु अनुदान	6 प्रतिशत ब्याज पर कृषकों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने से बैंकों को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता ।	150000	5,00,000 कृषक सदस्यों को 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जावेगा ।	
11	विपणन सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान एवं धनवेष्ठन	विपणन सहकारी समितियों को गोदामों के निर्माण हेतु अनुदान एवं धनवेष्ठन के रूप में सहायता प्रदान करना ।	2500	विपणन सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता में 2000 मे.टन की वृद्धि होगी । धनवेष्ठन एवं अंशपूंजी से कार्यशील पूंजी में 25 लाख की वृद्धि होगी ।	
12	अल्पावधि ऋण पर ब्याज अनुदान	अनु.जाति/जनजाति के किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज अनुदान देना।	3900	576 समितियों के 156000 सदस्यों को 4 प्रतिशत की दर पर अल्पावधि ऋणों पर ब्याज अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जावेगी ।	
13	प्राथमिक कृषि/कृषक सेवा बड़े पैमाने पर बहुउद्देशीय सहकारी समिति की अंशपूंजी में धनवेष्ठन	प्राथमिक कृषि/कृषक सेवा समितियों को बड़े पैमाने पर ऋण प्रदाय करने हेतु अंशपूंजी वृद्धि के लिए शासन द्वारा सहायता प्रदान करना ।	17200	229 कृषि साख समितियों के 3440 सदस्यों को ऋण प्रदाय कर लाभांवित किया जावेगा ।	

परिणामी बजट वर्ष 2007–08

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007–08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
विभाग– सहकारिता विभाग					
विभागाध्यक्ष– आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़					
14	कृषक ऋण राहत योजना	कृषकों को ऋण राहत देना ।	177352	07 जिला सहकारी बैंक तथा 06 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंको के अंतर्गत् कृषकों को ऋण राहत दिया जावेगा ।	
15	शक्कर कारखाना हेतु अंशपूंजी	शक्कर कारखाने को राज्य शासन की अंशपूंजी प्रदाय करना	50000	शक्कर कारखाना, अंबिकापुर को प्रारंभ करने के लिये राज्य शासन की अंशपूंजी दी जावेगी ।	